न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण नं.   /12/निगरानी – R 2175-II/12

1. मुलायम सिंह
2. जसरथ सिंह
3. भीमसिंह
4. लाखन सिंह

पुत्रगण मैहरबान सिंह सभी जातिगण यादव
निवासीगण ग्राम मीठाखेड़ा तहसील चंदेरी
जिला अशोकनगर ...... आवेदकगण

विरूद्ध

नत्थू सिंह पुत्र नंदकिशोर यादव
निवासी ग्राम मीठाखेड़ा तहसील चंदेरी
जिला अशोकनगर .... अनावेदक

श्री प्रदीप श्रीवास्तव अभि० द्वारा आज दि. 12-7-12 प्रस्तुत
12-7-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.स. 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 25.6.12 जिसे तहसीलदार न्यायालय चंदेरी के प्रकरण क्र. 28अ 6अ /07–08 में पारित किया

माननीय महोदय,

आवेदकगण की निगरानी निम्न प्रकार से प्रस्तुत है।

1. यहकि, अनावेदक ने अधीनस्थ नायब तेहसीलदार चंदेरी जिला अशोकनगर के न्यायालय में आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 116, 125 एवं धारा 89 भूराजस्व संहिता के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना की कि अनावेदक के स्वत्व व स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे नं. 25/2 रकवा 0.16 हैक्टयर भूमि सर्वे क्र. 225/12 रकवा 2.090 हैक्टयर ग्राम आरोन तहसील चंदेरी में स्थित है। यह भूमि राजस्व परिपत्रों में भूमि स्वामी स्वत्व पर अनावेदक के नाम अंकित है। अनावेदक ने काबिज रास्ता बनाया है।

Bhimsingh 12/7/2012

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- प्रकरण क्रमांक- निग./2175/दो/2012 जिला अशोकनगर

मुलायम सिंह आदि विरूद्ध नत्थूसिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/6/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार चंदेरी, जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 28/अ-**6**-अ/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 25/06/2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 05/8/19 को कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 17/6/19 सदस्य	